भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1072 जिसका उत्तर

शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025/14 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है

गैलाथिया खाड़ी में वाणिज्यिक ट्रांस शिपमेंट पत्तन

† 1072. श्री मनीश तिवारी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के गैलाथिया खाड़ी में ट्रांस-शिपमेंट और / या वाणिज्यिक पत्तन का निर्माण कार्य कर रही है और यदि हाँ, तो परियोजना को समर्थन प्रदान करने वाले आर्थिक तर्क, व्यवहार्यता विश्लेषण और व्यापार संबंधी औचित्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल कितना हेक्टेयर भूमि क्षेत्र है और पत्तन और इससे संबंधित अवसंरचना, जिसमें टर्मिनल, गोदाम, विद्युत सुविधाएं आदि शामिल हैं, के लिए कितने हरित आवरण का विपथन या हटाने का प्रस्ताव है;

(ग) शोम्पेन एवं निकोबारी सहित मूलनिवासी व्यक्तियों या समुदायों की संख्या कितनी हैं जिन्हें परियोजना से विस्थापित या अन्यथा प्रभावित किया जा सकता है तथा किसी भी स्वीकृत पुनर्वास या मुआवजे की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार या किसी स्वतंत्र निकाय ने लागत-लाभ, पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव आकलन किया है और क्या उनके निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने पारिस्थितिकी और मूलनिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सतत विकास विकल्पों पर विचार किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जी, हां। सरकार गलाथिया खाड़ी में ट्रांसशिपमेंट पत्तन का विकास शुरू करने की योजना बना रही है। इस परियोजना का स्थान कार्यनीतिक रूप से निर्धारित किया गया है और इससे विदेशी पत्तनों पर निर्भरता कम होगी, मलक्का स्ट्रेट व्यापार मिलेगा और राष्ट्रीय आर्थिक और समुद्री स्वायत्ता सुदृढ़ होगी।

(ख) से (ङ): ग्रेट निकोबार में पत्तन साइट के लिए ईसी और सीआरजेड से जुड़ा मामला न्यायालय में निर्णयाधीन है। अभी प्रश्नों के स्वरूप पर उत्तर देना उचित नहीं होगा।

*****